क्रम-संख्या–33(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 31 जनवरी, 2026

माघ 11, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 27 / ग्यारह-2–26-9(47)-17-टी0सी0-301-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(370)-2026
लखनऊ, 31 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ0–25

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 1699/ग्यारह-9(47)-17-टी0सी0-284-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(362)-2025 दिनांक 20 सितम्बर, 2025 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः—

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,–

(क) अनुसूची-II-9% में, क्रम-संख्या-4 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम-संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थातः–

"4क	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;";

(ख) अनुसूची-III–20% में, क्रम-संख्या-13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम-संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:–

"14	2106 90 20	पान मसाला;
15	2401	अविनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों से भिन्न];
16	2402	तंबाकू या तम्बाकू के अनुकल्प से बनी सिगार,चेरूट,सिगारिलो और सिगरेट ;
17	2403 (2403 19 21, 2403 19 29 से भिन्न)	अन्य विनिर्मित तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प; ''समांगीकृत'' या ''पुनर्रचित'' तंबाकू ; तंबाकू निष्कर्ष और सत्त (बीड़ी से भिन्न);

18	2404 11 00	तंबाकू या पुनर्रचित तंबाकू युक्त और दहन के बिना श्वसन के लिए आशयित उत्पाद;
19	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन अनुकल्प युक्त और दहन के बिना श्वसन के लिए आशयित उत्पाद'' ।;

(ग) अनुसूची-VII–14% और उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएंगी।

2–यह अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
कामिनी चौहान रतन,
प्रमुख सचिव।

————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 27/XI-2–26-9(47)-17-T.C.-301-U.P. Act-1-2017-Order-(370)-2026, dated January 31, 2026 :

No. 27/XI-2–26-9(47)-17-T.C.-301-U.P. Act-1-2017-Order-(370)-2026

Dated Lucknow, January 31, 2026

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification no. 1699/XI-9(47)-17-T.C.-284-U.P. Act-1-2017-Order-(362)-2025 dated September 20, 2025, namely:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, -

(a) in the Schedule-II–9%, *after* Sl. no. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be *inserted*, namely:-

"4A	2403 19 21, 2403 19 29	Biris;";

(b) in the Schedule-III–20%, *after* Sl. no. 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be *inserted,* namely: -

"14	2106 90 20	Pan masala;
15	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17	2403 (other than 2403 19 21, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences (other than biris);
18	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;
19	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion.";

(c) the Schedule-VII–14%, and the entries relating thereto shall be *omitted*.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2026.

By order,
KAMINI CHAUHAN RATAN,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 372 राजपत्र–2026–(1095)–599 प्रतियां (डीटी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 25 सा0 राज्य कर–2026–(1096)–500+500=1000 प्रतियां (डीटी0पी0/ऑफसेट)।